RAJYA SABHA

Friday, the 5th May, 2000/15 Vaisakha, 1922 (Saka)

(The House met at Eleven of the Clock,) MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Effect of Price Hike of PDS Commodities in Kerala

*561. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN : Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Kerala Chief Minister has submitted any representation to the Central Government regarding the hardships being faced by the people of Kerala because of the recent hike in prices of PDS articles;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes Sir.

(b) Chief Minister, Kerala, has stated that the State is deficit in foodgrains production, and that the hike in Central Issue prices of wheat and rice will destroy the Statutory Public Distribution System. He has appealed to the Union Government to withdraw the decision since Kerala is heavily dependant on the Public Distribution System for supply of essential commodities.

(c) Chief Minister, Kerala, has been informed that the recent modifications in the Targeted Public Distribution System have been made in order to focus attention on the poor and channelise the resources to the targeted group.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN : Mr. Chairman, Sir, this is a serious issue relating to the State of Kerala, a State which is producing only one-third of its total need of foodgrains and is highly dependant on the Public Distribution System for allotment of rice and wheat from the Central Pool. The record shows that the State of Kerala was the first on the PDS list. We have 15,000 ration shops and 80 per cent of the need is catered through the Public Distribution System. The State is facing a serious problem because of the recent decision of the Government of India to increase the PDS prices, especially under the BPL and the APL mechanism. That was why the Chief Minister of Kerala himself had led a dharna in Delhi, and after that, he met the Prime Minister and submitted a representation. Because of that, I put this question. But the reply does not reveal anything positive for the State. After this decision, the offtake has also come down. Normally, we need 1,45,000 tonnes of rice and the averge offtake is 1,20,000 tonnes. Because of this decision, the offtake has been reduced to 30,000 tonnes. In such a situation, two questions have been posed by the State Government. The first is regarding the below poverty line people. The State Government has conducted a survey through the village panchayat system and it was proved that 42 per cent of the people are living below poverty line. The Central Government is covering only 25 per cent of them through their allotment. Will the Central Government allot the targeted thing, that is, the TDPS to 42 per cent of the families which have been surveyed by the village panchayat system ? Secondly, the State of Kerala is only producing one-third of its need. So, there is a shortage unlike the other southern States, will the Central Government consider the case of Kerala and the north-eastern parts of the country separately while fixing the prices of the essential commodities under the PDS ?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, यह बात बिल्कुल ठीक है कि केरल में स्टेच्युटरी पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम है तथा यह कई दृष्टियों से काफी अच्छा भी चल रहा है। यह बात ठीक है कि वहां अन्न का अभाव है, कैश क्रोप लोग उगाते हैं, चावल की कमी है। हमने, जो नई व्यवस्था है उसमें बी०पी०एल० (बिलो पॉवर्टी लाइन) के लोगों का मुख्य रूप से ध्यान रखने की कोशिश की है। उस व्यवस्था में केरल को अंतर पड़ा है। पहले जितना खाद्यान्न देते थे और अब जितना खाद्यान्न नई व्यवस्था के बाद देने वाले थे उसमें लगभग चार हजार टन चावल और सोलह हजार टन गेहूं की कमी उन्हें पड़ने वाली थी। लेकिन जब उनके मुख्य मंत्री आए और उन्होंने मेमोरेंडयम दिया, कुछ सम्मानीय सदस्य भी हमसे मिले तब सरकार ने यह निर्णय किया कि 20 हजार टन की जो कमी केरल को पड़ रही है कि वह कमी पूरी कर दी जाए और पहले जितनी मात्रा केरल को दी जाती थी अब उतनी ही मात्रा केरल को दी जाएगी।

दूसरी बात जो उन्होंने बी०पी०एल० की कही। हमारी दृष्टि में इसमें 25 प्रतिशत लोग हैं। उनके अपने सर्वेक्षण में 42 प्रतिशत लोग हैं, यह समस्या अधिकतर प्रदेशों की है क्योंकि भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर, लकड़वाला कमेटी की सिफारिश पर सभी प्रदेशों के लिए नार्म्स तय कर दिए हैं। इस प्रदेश में इतने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। प्रतिशत यहां से तय हुआ और आइडेंफिकेशन प्रदेशों ने तय की। सभापति जी, प्लानिंग कमीशन के साथ हमने भी बात की। लेकिन बहुत से मुख्य मंत्री बार-बार कहते हैं कि इतने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, हमारी दृष्टि से इतने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यह विवाद तो लगभग सभी प्रदेशों का केन्द्र और योजना आयोग से चल रहा है। इसके लिए हम सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से बात करेंगे तो इस बारे में कुछ तय किया जाएगा। अभी स्थिति यह है कि पूरे देश के लिए जो एक मानदंड तय किया गया है। लकड़वाला कमेटी की सिफारिश और प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ है। यह भारत सरकार की तरफ से तय नहीं हुआ है । यह तो बहुत पहले से तय है। उस मानदंड के मुताबिक केरल में जितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उन लोगों से दुगने लोगों को खाद्यान्न दिया जाएगा। इससे अधिक कोई प्रदेश गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की और अधिक संख्या बताता है तो उसका वहन तब तक उनको स्वयं करना होगा जब तक उनके बारे में नये सिद्धांत से कोई नया निर्णय नहीं हो जाता।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN : Sir, unfortunately, the Minister has not replied to one of the serious aspects which was raised in my question, that is, granting special status to Kerala. This is what is happening every now and then. After this decision, one Central Minister went to Kerala and he was always abusing the State and the people for this PDS. This Public Distribution System is the very basis of our soical achievements. It is one among the fundamental basis of our achievements. It is the best in the country. The Central Government does not promote it and they are abusing it. One Central Minister went there and he said that those who were using talcum powder were not eligible for BPL rice; people who were using soap were not eligible; people who were using cloth were not eligible. What kind of a response is this from this Minister ? What are you doing ? There is no need for a Ministry for PDS. Let us start a Ministry of Traders and Hoarders in this country instead of having a Ministry for PDS. Something positive should come. What is coming, Sir, That is the problem. What is the situtation ? If this is the standard of the Central Government, the situation will become very bad. If the off-take is not there, they will remain in the FCI godowns. Then, what will be the situtation ? The quality of rice itself is bad. One hon. Minister has said, "the Government is saddled with 24 lakh tonnes of relaxed specification rice, with compromised

quality, procured under pressure". It means that the quality itself is poor. So, you have to sell low quality rice with a higher price tag. May I know from the hon. Minister what this mechanism is ? The quality of rice is inferior to the one available in the open Market. You want to sell this lesser quality rice with a higher price tag. What would be the mechanism for selling such rice ?

MR. CHAIRMAN : You are explaining the question. I think the Minister understands the question. All of us understand the question.

SHRI A. VIJAY RAGHAVAN : I would like to know from the hon. Minister whether he will reduce the price. Will he reduce the price ?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, यह बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन का डिस्टिंग्शन 1996 में शुरू हुआ जब युनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और कौन किसको सपोर्ट कर रहा था, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। बिलो पावर्टी लाइन का सिद्धान्त आज तय नहीं हुआ, यह 1996 में तय हुआ था। लकड़वाला कमेटी की रिपोर्ट, प्लानिंग कमीशन की सिफारिश और केन्द्र सरकार का निर्णय कि केरल में कितने प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं यह आज तय नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस पर आज केरल के हमारे मित्र हम पर गुस्सा प्रकट करने की कृपा न करें। यह निर्णय 1996 में हुआ तब तो उन्होंने गुस्सा प्रकट नहीं किया। तब तो कुछ कहा नहीं, तब तो सरकार का समर्थन किया। यह निर्णय 1996 में हुआ था। हमने कोई नया निर्णय नहीं किया। .....(व्यवधान)

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN : They didn't take such a decision. (Interruptions).....They didn't take such decision. (Interruptions).....

श्री सभापति : आपने कुछ कहना है ?

श्री शांता कुमार : 1996 में यह निर्णय हुआ। हम उस निर्णय को फालो कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ मुख्य मंत्री बार-बार कह रहे हैं। अब यह सवाल तो योजना आयोग ने तय करना है कि कहां कितने कम हो गये, ज्यादा हो गये। हम तो उस सिद्धांत को फालो करेंगे। केन्द्रीय सरकार का एक निश्चय इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है। उसमें किसी विशेष प्रदेश के लिए परिवर्तन करने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ रिलेक्स्ड स्पेसिफिकेशन का चावल वहां पड़ा है। सभापति जी, मैंने खुले आम स्वीकार किया है कि चावल गलत ढंग से लिया गया। केरल में 17000 टन चावल रिलेक्स्ड स्पेसिफिकेशन का, खाने के अयोग्य नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बिलकुल ठीक नहीं हैं, हमने आदेश कर दिया है कि केरल

में उस 17000 टन में से एक किलो भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा बढ़िया चावल हम वहां पर देंगे इस चावल को केरल के लोगों को नहीं देने का निर्णय हमने कर लिया है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, the question is not that how many people are below the poverty line because that is incidental. The hon. Minister must be aware that it is not Lakhdawala Committee. Though, originally, Shri Lakhdawala was the Chairman, after his departure, the final decision came from Shri Rangarajan, who chaired that committee. But it is an Expert Committee. Prior to this also, from the very beginning, we are determining the poverty line. The Planning Commission had set a standard on the basis of which by some adjustment, after the National Sample Survey was done, the number of persons below the poverty line was determined. Some experts objected to that formulation. Thereafter, an Expert Committee was appointed. The Expert Committee gave the formulation. And despite the fact that the number of persons below the poverty line increased from 19% to 29%, the Government accepted that. That is not the question. After the next Census or the next Round of National Sample Survey, we would be able to determine whether the number of persons below the poverty line is going up or down. Now, as you have indicated, the quantum of rice available is 4,000 tonnes and that of wheat is 16,000 tonnes. If I remember correctly, the earlier ratio between wheat and rice was about 3 : 1, respectively, i.e. rice was about one-third of wheat. Now, it is 75 : 25. I would like to know whether the Government is in a position to step up the quantum of rice, keeping the entire quantum of foodgrains as 20,000 tonnes, because the people of Kerala are very fond of rice. This is number one. It is also a fact that Kerala is helping the national economy by producing a substantial quantum of cash crops thereby earning a lot of foreign exchange. Therefore, is the hon. Minister contemplating to give a special dispensation to provide support to Kerala so that, instead of switching over to paddy or rice production, they could continue with the production of cash crops, which other areas cannot produce? Keeping that point in view, is the hon. Minister in a position to indicate as to whether some special dispensation is possible or not ?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, जहां तक अधिक चावल की बात है जो प्रदेश जितना चावल जितनी गेहूं चाहते हैं उसके मुताबिक कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि कोई प्रदेश अधिक चाहेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक किसी प्रदेश के लिए विशेष व्यवहार करने की बात है, इस संबंध में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक सिद्धांत तय हो जाता है और वह पूरे देश के लिए एक समान ही रहता है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Mr.Chairman Sir, I would like to know whether any special status was given to Kerala earlier. If so, in which year ? Why has the Government withdrawn it ? What are the reasons for the same? Secondly, we all know that there was a widespread demand from various parts of the country, particularly, from the Chief Ministers, on having a basis for deciding the percentage of people below the poverty line. Whether it is Lakhdawala Committee or Rangarajan Committee, a number of Chief Ministers have raised objection. It is quite surprising that according to the State Governments, the percentage is low; and according to the Central Government, the percentage is high. What are the broad yardsticks ? Is it the Planning Commission's recommendations or is it the Government of India's decision taken from time to time based on the sample survey? What has been the procedure followed so far ? What is the response of the present Government to the requests made by the various Chief Ministers to end this anomaly ? And the last part of my supplementary is, whether it is a fact that in any State, toothpaste, talcum powder, lipstick and other things are given for people below the poverty line ?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, किसी प्रदेश के लिए कोई स्पेशल स्टेटस न पहले था ना अब हो सकता है। बिलो पावर्टी लाइन, अबोव पावर्टी लाइन की जो बात कही गयी उसमें तो केवल परसेंटेज यहां से तय हुई है। यह ठीक है कि प्रदेशों का और हमारा जो असेसमेंट है उसमें बहुत अंतर है। मैंने स्वंय प्लानिंग कमीशन से बात की है। मैं समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रदेश और केन्द्र मिल करके परसेंटेज को तय करें ताकि हम कहें 25 परसेंट है प्रदेश कहें 45 परसेंट है यह न हो। इस संबंध में मैंने स्वयं अध्यक्ष, प्लानिंग कमीशन से बात की है और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बारे में प्रदेशों को, केन्द्र को कोई न कोई एक सर्वसम्मत फारमूला निकालना चाहिए जो केन्द्र को भी स्वीकार हो और प्रदेशों को भी स्वीकार हो। उस संबंध में निश्चित रूप से इस मामले को हमने उठाया है। इस बारे में केन्द्र सरकार विचार करेगी।

डा० अलादी पी० राजकुमार : आंध प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है लकड़वाला कमेटी से सेम क्वेश्चन हमारे वेंकैया नायडू साहब ने पूछा। आपने उसका बराबर जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रदेश कमेटी को पूछा ही नहीं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट 29 परसेंट बिलो पावर्टी लाइन कहती है तो लकड़वाला कमेटी 22 या 26 परसेंट कुछ कहे तो यह कहां का न्याय है। इसको रिवाइव करने का कुछ मौका है तो बोल दीजिए।

श्री शांता कुमार : मैंने पहले ही कहा कि 1996 में यह सारा तय हुआ। उस समय यह हुआ था और वही चल रहा है। अब उसमें कुछ प्रदेशों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए मैंने कहा यदि कुछ प्रदेशों को अन्याय लगता है तो यह जो सिद्धान्त तय हुआ है इस सिद्धान्त को दुबारा.....**(व्यवधान)** मैं मानता हूं.....**(व्यवधान)**

डा. अलादी पी. राजकुमार : कई बार चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई। उसमें चीफ मिनिस्टर्स ने कहा, यह मसला उठाया।

श्री शांता कुमार : तो इस सिद्धांत को प्रदेशों की सलाह से बिल्कुल यथार्थवादी आधार पर बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

प्रो. रामगोपाल यादव : यह मामला अभी राजकुमार जी ने उठाया। पूरा पी.डी.एस. सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या को लेकर जुड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी ने अपने सवाल के जवाब में कहा कि 1996 में तय हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं और सारा देश यह जानना चाहता है, गांव में रहने वाला, सड़क पर चलने वाला, सब यह जानना चाहते हैं कि गरीबी की रेखा जो आपने खींच दी है 1996 में क्या वह सही है और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उस रेखा से ऊपर जीने वाला व्यक्ति ठीक से जी रहा है ?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, देश के अंदर लगभग 33 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे उस सिद्धांत के मुताबिक हैं।

प्रो. रामगोपाल यादव : मेरा यह सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि गरीबी की रेखा क्या है ?

श्री शांता कुमार : अब रेखा तो वह जो एक्सपर्ट कमेटी ने तय की है.....

प्रो. रामगोपाल यादव : तय की है तो वह क्या है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आप सेपरेट नोटिस दीजिए।

प्रो. रामगोपाल यादव : मैं संख्या नहीं जानना चाहता हूं मैं तो जानना चाहता हूं कि यह क्या है ?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : What Shri Venkaiah Naidu has said is appropriate. I think the Central Government must communicate with the State Government, and find out the common norms agreeable to both the Central Government and the State Governments. That alone will solve the problem.

MR. CHAIRMAN : May I say one thing ? As regards the question about poverty line, there is a lot of controversy on that and we would be going on raising more and more queries. I think it will be better if you have a Half-an-hour Discussion on poverty line itself so that.....

SHRI PRANAB MUKHERJEE : But he is not the concerned Minister. It is the Minister of Planning who has to deal with it.

MR. CHAIRMAN : That is okay. Whoever is the concerned Minister, you can put your questions to him. You may give a notice for it. At that time, we can discuss about the poverty line.

पर्यावरण की रक्षा हेतु अमरीकी सहयोग

562. श्री स्वराज कौशल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भारत को सहयोग देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच 22-3-2000 को एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त वक्तव्य का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्र में और आगे सहयोग में तेजी लाना है।

संयुक्त वक्तव्य में और अधिक द्विपक्षीय सहयोग, और सरकार से सरकार के बीच परस्पर बातचीत को बढ़ावा देने तथा आगे इन क्षेत्रों में सरकारी व निजी क्षेत्र के सहयोग को और प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित करने के लिए दो देशों के इरादे का उल्लेख किया गया है। संयुक्त परामर्शदात्री समूह (क) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, हस्तांतरण, प्रदर्शन और उनको लगाने से संबंधित सरकारी व निजी क्षेत्र समन्वित परियोजनाओं की पहचान करके उन्हें प्रारम्भ करेगा और उनकी मॉनीटरी करेगा तथा साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता एवं पावर सैक्टर में सुधार आदि के क्षेत्रों में नीतियों की समीक्षा करेगा, (ख) स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास और सहयोग के अवसरों की तलाश करेगा एवं उनका विस्तार करेगा, और (ग) जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संदर्भ में उठने वाले जलवायु परिवर्तन सबंधी मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देगा।